

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018

[www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in)

दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.8(84)RSSB / प.आ. / ग्रा.वि.अ.सी.भ.(मुख्य)प. / 2021 / 208

दिनांक: 30.06.2022

## विज्ञप्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 04/2021 क्रमांक 986 दिनांक: 06.09.2021, के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा— 2021 एवं विज्ञापन संख्या 05/2022 क्रमांक 321 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा हाउस कीपर सीधी भर्ती परीक्षा—2022 के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। ग्राम विकास अधिकारी (मुख्य) सीधी भर्ती परीक्षा— 2021 एवं हाउस कीपर सीधी भर्ती परीक्षा—2022 के आयोजन की तिथि 09.07.2022 नियत कर (परीक्षा समय सारणी) पत्र क्रमांक 134 दिनांक 09.06.2022 को जारी किया गया था। तदानरूप ही ग्राम विकास अधिकारी (मुख्य) परीक्षा एवं हाउस कीपर परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा:—

परीक्षा का नाम	परीक्षा आयोजन दिनांक	परीक्षा आयोजन समय
ग्राम विकास अधिकारी (मुख्य) सीधी भर्ती परीक्षा—2021	09.07.2022 (शनिवार) (Morning Shift)	09:30 am to 12:30 pm
हाउस कीपर सीधी भर्ती परीक्षा—2022	09.07.2022 (शनिवार) (Evening Shift)	03:00 pm to 06:00 pm

अतः उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:—

1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
2. उक्त परीक्षा के अभ्यर्थी “प्रोविजनल ई—प्रवेश पत्र” बोर्ड की वेबसाइट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) से दिनांक: 01.07.2022 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नकल कराने का प्रयास न करें। नकल कराने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।
4. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।
5. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय के  $1\frac{1}{2}$  घण्टे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जावेगा एवं किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखें।
6. कोरोना (कोविड—19) वैशिक महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी से सम्बन्धित जारी दिशा निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना करें।
7. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगा कर आना अनिवार्य है। बिना मास्क के परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर कोविड—19 के मध्यनजर अभ्यर्थियों के हैंड सेनेटाइजर/वॉश एवं तापमान माप की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अपेक्षित सहयोग करें।
9. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई—प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान—पत्र यथा—मतदाता पहचान—पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से कोई एक, उपस्थिति पत्रक पर चस्पा कराने हेतु  $2.5\text{cm} \times 2.5\text{cm}$  साईज के नवीनतम रंगीन फोटो एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
10. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।

11. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।
12. ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।
13. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है तथा कोरोना (कोविड-19) के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाकर आना भी अनिवार्य है। ड्रेस कोड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट पर जारी विस्तृत विज्ञप्ति अवश्य देखें। ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- i. पुरुष अभ्यर्थी आधी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, पैन्ट एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आयेंगे।
  - ii. महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज, हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा कर आवेंगी।
  - iii. परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर एवं अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।
  - iv. परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली छूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की छूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।
  - v. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।
  - vi. यदि किसी वरतु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड में शामिल होने के संबंध में संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।
  - vii. गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.27(14)गृह-1/2008 दिनांक 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जावे। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एक घन्टा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि इस स्कीनिंग दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई सन्देहास्पद उपकरण (SUSPECT DEVICE) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जावें।  
उक्त ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जावेगा
14. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रु. 100/- (रु. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी।
15. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है।
16. परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट [www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

17.

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट  
[www.rsmssb.rajasthan.gov.in](http://www.rsmssb.rajasthan.gov.in) का नियमित रूप से अपलोड करें।

(पुष्कर राज शर्मा)  
सचिव